पूर्व मध्य रेल (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

सं. ईसीआर-एचक्यू 0 कॉन (स्था.) / 35 / 2022(पार्ट-।।)

दिनांक 14.07.2025

प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) के माध्यम से राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मियों की पुनर्नियुक्ति

प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) की तिथि : 31.07.2025 (गुरूवार) रिपोर्टिंग समय : 10.00 बजे से 12.00 बजे तक (1) स्थल : विमर्श सम्मेलन कक्ष , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, निर्माण संगठन, पूर्व मध्य रेल, महेन्द्र्घाट , पटना, बिहार, पिन – 800004.

प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) की तिथि : 01.08.2025 (शुक्रवार)

रिपोर्टिंग समय: 10.00 बजे से 12.00 बजे तक

(2) स्थल: उप मुख्य इंजीनियर कार्यालय, निर्माण संगठन, पूर्व मध्य रेल, रेलवे स्टेडियम के नजदीक, धनबाद, झारखंड, पिन – 826001.

रेलवे बोर्ड का पत्र सं.E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2)Dated 22.02.2022(RBE No.23/2022) एवं RBE No. 12/2024 दिनांक 08.02.2024 में निहित निर्देश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सर्वेक्षण संबंधी कार्य, भूमि अभिलेख का अद्यतन एवं भूमि – अधिग्रहण में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु बिहार / झारखंड राज्य के राजस्व विभाग से राज्य सरकार के किसी ग्रेड पे में सेवानिवृत कर्मचारी को पूर्णत: संविदा के आधार पर निर्माण संगठन, पूर्व मध्य रेल में Consultant(Land Liaison) के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) लिया जाना है।

- 2. पुनर्नियुक्ति पूर्णत: संविदा आधार पर दिनांक 21.02.2026 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक या संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक,जो भी पहले हो तक होगा।
- 3. बिहार / झारखंड राज्य के सेवानिवृत राज्य राजस्व विभाग के किसी भी ग्रेड पे के कर्मियों की आवश्यकता निम्नवत है : -

क्षेत्र	राज्य राजस्व अधिकारी की सं.
बिहार	02
झारखंड	01
कुल	03*

नोट: * ऊपर दर्शाई गई आवश्यकता अनंतिम है जो रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बाद के स्तर पर घट या बढ़ सकती है।

4. आयु सीमा:

वे सभी जो अधिसूचना की तिथि को 64 वर्ष की आयु से कम है , आवेदन कर सकते हैं।

5. आवेदक की पात्रता :

बिहार / झारखंड राज्य के राजस्व विभाग के सेवानिवृत कर्मी (सभी ग्रेड पे) ही पात्र हैं। सेवानिवृत कर्मी को सर्वेक्षण संबंधी कार्य, भूमि अभिलेख का अद्यतन एवं भूमि – अधिग्रहण में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु संबंधित राज्य सरकार में अपने सेवा अविध के दौरान राजस्व विभाग के संबंधित कार्यों में अनुभवी होना आवश्यक है। निष्कासित / पदच्युत / अनिवार्य सेवानिवृत कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

6. चयन की विधि:

उपयुक्तता / सक्षमता का निर्णय प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) द्वारा किया जाएगा । इच्छुक पूर्व कर्मी(Officials) उपर दिए गए साक्षत्कार स्थल में से किसी एक स्थल पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

- 7. पारिश्रमिक, भत्ता एवं अवकाश :
- (i) सेवानिवृति के समय पे-ड्रॉन से मूल पेंशन की कटौती के उपरांत नियत मासिक राशि संविदा अविध के दौरान पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। संविदा अविध में नियत पारिश्रमिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (ii) संविदा अवधि के दौरान वेतन वृद्धि , मंहगाई भत्ता एवं एच.आर.ए. नहीं मिलेगा ।
- (iii) आवास एवं कार्यस्थल के बीच कॉम्यूटिंग उददेश्य हेतु यातायात भत्ता के रूप में उपयुक्त एवं नियत राशि देय होगी जो सेवानिवृति के समय नियुक्त कर्मी को लागू दर से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति अविध के दौरान नियत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि सेवानिवृति के समय अधिकृत दर के अनुसार उनको सरकारी यात्रा पर टी.ए./ डी.ए. देय होगा, यदि कोई।
- (iv) प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा हेतु 1.5 दिन की दर से पेड लीव ऑफ एबसेंस देय (Paid leave of absence) होगा।
- 8. चयनित उम्मीदवार को वर्तमान प्रचलन के अनुसार मनोनीत प्राधिकारियों से उपयुक्त कोटि के चिकित्सा स्वस्थता (medical fitness) हेतु चिकित्सा जांच कराना होगा।
- 9. पुनर्नियुक्ति के पूर्व सत्यनिष्ठा की जांच की जाएगी।
- 10. करार : आचार विचार एवं सत्यिनष्ठा संबंधित खंड (clause) को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियुक्त सेवानिवृत कर्मी को रेलवे के साथ एक गोपनीय करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 11. पुनर्नियुक्ति हेतु चयनित सेवानिवृत कर्मियों को समय समय पर पुनर्नियुक्ति योजना के सभी निबंधन एवं शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
- 12. संविदा की समाप्ति:
 - किसी एक तरफ से भी संविदा को 15 दिनों की सूचना पर समाप्त किया जा सकता है। नियमित आधार पर सेवानिवृत पुनर्नियुक्त राज्य सरकार कर्मी के कार्य निष्पादन की मोनिटरिंग की जाएगी और जो ड्यूटी करने में असमर्थ हो या प्रशासन की आशानुरूप कार्य करने में असफल हो रहे हो, उनको 15 दिनों का नोटिस देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है। तथापि सत्यनिष्ठा संबंधी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट / भारी लापरवाही /कदाचार/ अनियमितताओं के मामले में, अनुबंध / नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।
- 13. रेलवे प्रशासन को पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता हेतु पुनर्नियुक्त कर्मियों का स्थानांतरण करने का अधिकार होगा।
- 14. पुनर्नियुक्त कर्मियों को स्वस्थ रहना होगा एवं स्वस्थता की जांच रेलवे के चिकित्सा विभाग द्वारा की जाएगी।
- 15. पुनर्नियुक्त कर्मियों द्वारा एकत्रित कोई भी सूचना किसी दूसरे को प्रकट नहीं करना होगा जो जानने हेतु प्राधिकृत नहीं है अथवा अधिकार नहीं रखते हो।
- 16. उम्मीदवार प्रवेश साक्षात्कार (walk in interview) के स्थल एवं समय पर इस अधिसूचना के साथ विधिवत भरे हुए संलग्न प्रपत्र एवं पी.पी.ओ. सहित सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो । इच्छुक पूर्व कमी उपर दिए गए साक्षत्कार स्थल में से किसी एक स्थल पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

- 17. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2) Dated 22.02.2022 (RBE No.23/2022) एवं RBE No. 12/2024 दिनांक 08.02.2024 और समय- समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत संशोधन के अनुसार संविदा आधार पर सभी पुनर्नियुक्ति मामले डील किये जाऐंगे।
- 18. वर्तमान नियमों के अनुसार अधिसूचना के निबंधन एवं शर्तों में कोई भी अनुवर्ती परिवर्तन ही लागू होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पूर्व मध्य रेल / निर्माण संगठन के पास अनुवर्ती परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन / रद्द करना पर विचार / सम्मिलित करने हेतु अधिकार सुरक्षित रहेगा जो जब भी लागू होगा।
- 19. कोई भी विधिक विवाद केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , पटना के क्षेत्राधिकार के अधीन ही प्रस्तुत किया जा संकेगा ।
- 20. पूर्व मध्य रेल / निर्माण संगठन के पास पुनर्नियुक्ति के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा , यदि आवेदन में कोई अनियमितता/ कमी पायी जाती है।
- 21. पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट : www.ecr.indianrailway.gov.in से सेवानिवृत सरकारी कर्मियों के पुनर्नियुक्ति संबंधी अधिसूचना एवं अन्य कोई जानकारी डाउनलोड किया जा सकता है। (Click Hajipur HQ > Construction > Personnel > Notification)

संलग्न दस्तावेज : आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट 'क')

(सौरभ सिविर्ण ४ रेडे वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / निर्माण कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण पूमरे / महेन्द्रघाट , पटना

				1	_
u	v	9	ष्ठ	• 7	ਨ′

	के	पद	हेतु	दैनिक	पारिश्रमिक	आधार	पर	सेवानिवृत्त	राज्य	सरकार
कर्मियों के पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन	प्रप	ा हा	, -							

•			
ot	র		
~	2		

		9
1	नाम	
2	पिता का नाम	सेवानिवृत्त राज्य सरकार
3	समुदाय / जाति	कर्मियों का नवीनतम पासपोर्ट साइजफोटो (स्व—अभिप्रमाणित)
4	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं	
5	स्थान पे बैंड +ग्रेड पे रू./मैट्रिक्स स्तर	i i
	(सेवानिवृत्ति के समय)	
6	अंतिम पे ड्रॉन	
7	जन्म तिथि (DD-MM-YYYY)	
8	65 वर्ष उम्र होने की तिथि	
9	नियुक्ति तिथि (DD-MM-YYYY)	
10	सेवानिवृत्ति—अधिवर्षिता / स्वैच्छिक	
	सेवानिवृत्ति / अनिवार्य / एसआरआरएस	
11	सेवानिवृत्ति तिथि (DD-MM-YYYY)	
12	पी पी ओ सं० / सेवा प्रमाण पत्र	
13	मूल स्वीकृत पेंशन	*
14	शैक्षणिक योग्यता	
15	अनुभव- सर्वेक्षण संबंधित कार्य, भूमि	
	अभिलेख को अधतन करना, एवं भूमि	. 4
	अधिग्रहण में सम्मिलित विभिन्न	
	गतिविधियों हेतु राज्य सरकार एजेंसीयों	
	के साथ समन्वय (कृपया निर्दिष्ट करें)	
16	सेवानिवृत्ति के समय किस चिकित्सा	40.00
	कोटि में उम्मीदवार योग्य थे ।	
17	क्या आप कभी गिरफ्तार किये गए हो	
	/मुकदमा चला हो हॉ/ना	
18	क्या आप किसी अपराध के लिए	
	न्यायालय द्वारा दोषी	
	ठहराये गए हैं हॉ/ना	
1		

19	सेवानिवृत्ति के समय डी.ए.आर/विजिलेंस के	
	अंतर्गत शासित या कोई मामला लंबित है	
	हॉं/ना	н
20	आधार नं0 एवं पैन नं0	
21	आवासीय पता (पिन कोड सहित)	
22	मोबाईल सं0	
23	e-मेल,ID	
24	संलग्न दस्तावेज (स्व.अभिप्रमाणित) हॉ / ना	सेवा प्रमाण पत्र
		पीपीओ
		अंतिम वेतन पर्ची
		कैंसिल चेक

नोट:- यदि मद सं0-17, 18 व 19 का जवाब हॉ है तो इसके साथ पूर्ण ब्यौरा दिया जाए ।

घोषणा:--

मैं अधोहस्ताक्षरित सत्यनिष्ठापूर्वक एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण सत्य एवं सही है । मैं स्वयं किसी गलत और/अथवा असत्य सूचना देने हेतु उत्तरदायी रहूंगा और इस दोषपूर्ण कार्य के लिए मेरी अनुबंध/नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है ।

दिनांक-

स्थान-

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

East Central Railway (Construction Organization)

NOTIFICATION

No.: ECR-HQ0CONS(ESTT)/35/2022 (Pt-II)

Re-engagement of Retired Officials of State Government through walk-in interview

Date: 14.07.2025

Date of walk-in Interview: 31.07.2025 (Thursday)	Date of walk-in Interview: 01.08.2025 (Friday)
Reporting Time: From 10:00 Hrs. to 12:00 Hrs.	Reporting Time: From 10:00 Hrs. to 12:00 Hrs.
(1) Venue: Vimarsh Conference Hall,	(2) Venue : Dy.Chief Engineering Office,
Chief Administrative Office,	Construction Organisation, East Cenntral Railway,
Construction Organisation, East Cenntral Railway,	Near Railway Stadium, Dhanbad ,Jharkhand,
Mahendrughat, Patna, Bihar, Pin- 800004.	Pin- 826001.

In terms of Railway Board's Letter No. E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2) Dated 22.02.2022(RBE No. 23/2022) and RBE No. 12/2024 Dated 08.02.2024, it has been decided to re-engage retired officials of State Government of revenue department of Bihar/Jharkhand State in any Grade Pay through walk-in interview as Consultant(Land Liaison) in Construction Organization, E.C.Railway purely on contract basis for Job related to survey, updation of land records and to co-ordinate with State Govt. agencies for different activities involved in land acquisition.

- 2. The re-engagement will be offered purely on contract basis up to 21.02.2026 or till the task is completed or till the time the contracted person attains 65 years of age, whichever is earlier.
- 3. Requirement of retired State Revenue Department officials in Bihar/Jharkhand State in any Grade Pay is as under:-

Area	No. of State Revenue officer
Bihar	02
Jharkhand	01
Total	03*

Note: * Requirements shown above are provisional and may increase and decrease at later stage depending upon the actual needs of Railway Administration.

- 4. Age limit: All those less than 64 years of age as on date of notification can apply.
- 5. Applicant's eligibility: Only Retired State Govt. Officials (All Grade) from Revenue Department of Bihar/Jharkhand are eligible. These Revenue Department retired Officials must have dealt with the work related to survey, updation of land records and co-ordination with State Government agencies for different activities involved in land acquisition during their tenure in concerned State Government. Removed/Dismissed/Compulsorily retired employees are not eligible for re-engagement.
- 6. **Mode of Selection:** Suitability/Competency will be judged by walk-in interview. The candidates can appear at any of the venues mentioned above for walk-in interview.
- 7. Remuneration, Allowances and Leave:
 - (i) A fixed monthly amount will be admissible as remuneration during the contract period, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
 - (ii) No increment, Dearness Allowance and HRA shall be allowed during the term of the contract.
 - (iii) An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed will remain unchanged during the term of appointment. However, they may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.
 - (iv) Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service.

- 8. The selected candidate has to undergo medical examination for medical fitness of the appropriate category from the designated authorities as per existing practices.
- 9. The integrity aspect will be checked before re-engagement.
- Agreement: The re-engaged retired employees have to sign an agreement of confidentiality with the Railway containing a clause on Ethics and Integrity.
- 11. The retired employees selected for re-engagement shall strictly abide by all the terms and conditions of the re-engagement scheme from time-to-time.
- 12. **Termination of contract:** The contract may be terminated by either side by giving 15 day's notice. The performance monitoring of retired re-engaged State Government staff shall be done on regular basis and those who are unable to discharge the duties or who fail to perform as per expectations of the administration, may be given 15 day's notice and their contract will be terminated. However, in case of any adverse report regarding the integrity/gross negligence/misconduct/irregularities etc, the engagement may be terminated with immediate effect.
- The Railway Administration has right to transfer re-engaged officials within jurisdiction of E.C.Railway in administrative exigency.
- 14. The re-engaged officials should remain be medically fit, the medical fitness will be adjudged by the Medical Department of Railway.
- 15. The re-engaged official shall not divulge any information gathered by him or her during the period of assignment related to the organization to anyone who is in not authorized to know or possess the same.
- 16. The candidates should report for walk-in interview with all original documents along with PPO and duly filled up form attached with this notification at the time and venue mentioned above for walk-in interview. The candidates can appear at any of the venues mentioned above for walk-in interview.
- 17. All these re-engagement on contractual basis will be dealt with as per Railway Board's Letter no. E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2) Dated 22.02.2022(RBE No. 23/2022) & RBE No. 12/2024 Dated 08.02.2024 and read with modification issued by the Railway Board time to time.
- 18. Any subsequent changes in the terms and conditions of the Notification as per extant rules will stand good. ECR/Construction Organisation reserves the right to consider/incorporate any subsequent changes/modification/additions/cancellation in the terms & condition to reengagement under this notification as and when applicable.
- 19. For any Legal Dispute, the Jurisdiction will be Central Administration Tribunal, Patna only.
- 20. ECR/Construction Organisation reserves the right to reject the candidature of any applicant at any stage of re-engagement thereafter if any irregularity/deficiency is noticed in the application.
- 21. Notification & other information regarding re-engagement of retired Government Officials may be downloaded from E.C.Railway website: www.ecr.indianrailway.gov.in (Click Hajipur HQ > Construction > Personnel > Notification).

DA: Application Format (Annexure 'A').

Sr. Personnel Officer (Con.)
for Chief Administrative Officer (Con.)
E.C.Railway/Mahendrughat, Patna

Annexure 'A'

Application form for re-engagemen	t of retired	State Government	officials on	daily
remuneration basis for the post of _				

1	Name			Latest passport size
2	Father's Name		A 6	photograph of
				retired State
3	Community/Caste		=	Government official
4	Place and Post hel Retirement	d at the time of		(Self attested).
5	Pay Band + GP Rs (at the time of reti			
6	Last Pay Drawn			
7	Date of Birth (DD-	-MM-YYYY)		
8	Date of attaining t	he age of 65 years.		8
9	Date of Appointm	ent (DD-MM-YYYY)		
10	Retirement-Supera	innuation / VR /		A
	Compulsory/SRRS			
11	Date of Retiremen	it (DD-MM-YYYY)	g.	8
12	PPO No./Service (Certificate		
13	Basic Pension Sand	tioned.		.20
14	Educational Quali	fication	*	
15	updation of coordination with agencies for forest	land records, State Government t/wild life clearances e land acquisition is		в В а
16	Medical categor	y in which the		
	candidate was f	it at the time of		
17	Have you ever be	en	1	
	arrested/prosecute			

18	Have you ever convicted by court of law for any offence* Yes/No	97
19	Case pending or penalty under D&AR, Vig. at the time of Retirement Yes/No	
20	AADHAR No. and PAN No.	
21	Residential Address (Full with pin code)	
22	Mobile No.	
23	e-mail id.	
24	Document enclosed (Self attested) (Write Yes/No.)	Service Certificate
		PPO
		Last pay Slip
		Cancelled cheque

Note: If reply to any of the item No.17, 18 & 19 is 'yes', the details thereof may be provided.

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby solemnly affirm and declare that the particulars furnished above are true and correct. I shall be held responsible for submission of any wrong and/or incorrect information and that my engagement may be terminated for this wrongful act.

Date:	
Place:	

Signature of the applicant.